"आप अपने घर में काम करने वालों की तनख्वाह घर की कीमती चीजें बेचकर दे रहे हैं"

यह टिप्पणी 1984 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर पर विपक्षी दलों ने की थी जब उन्होंने नेताओं तथा सरकारी बाबुओं की मोटी तनख्वाह का इंतजाम सरकारी सार्वजनिक संपत्तियां बेच कर किया था, यह टिप्पणी आज मोदीजी पर भी पूरी तरह से सही उतरती है।

आपको यह जानकर बिल्कुल भी खुशी नही होगी कि सत्ता में आने के महज़ साढ़े तीन साल में ही मोदी सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियों को बेच दिया। इसकी तुलना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल के 10 सालो में 1.14 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा था।

ओर इस साल तो ओर बुरी हालत है राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 15.7 अरब डॉलर यानी 1 खरब रुपये की रकम सरकारी संपत्तियों को बेचकर जुटाने की योजना बना रही है।

दरअसल जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद इस साल सरकार के अप्रत्यक्ष टैक्स संग्रह पर प्रभाव पड़ा है। अभी तक सभी राज्यों का राजस्व पहले के मुकाबले कम रहा है और केंद्र सरकार का राजस्व भी पहले से कम रहने की उम्मीद है। इसलिए यह कहा जा सकता है मोदी के नोटबन्दी ओर जल्दबाजी में लागू जीएसटी जैसे गलत आर्थिक फैसले इस पूरे सिस्टम पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।

हमें देखना होगा कि सरकार की नीयत क्या है, किसी भी सरकारी कंपनी या संपत्ति के निजीकरण के पीछे तर्क दिया जाता है कि ये मुनाफा नहीं कमा रही है। लेकिन मोदी सरकार जिन सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। अप्रैल 2018 में खबर आई कि मोदी सरकार देश के 15 सरकारी हवाई अड्डों को निजी कंपनियों के हाथों बेचने जा रही है लेकिन ये सभी एयरपोर्ट सरकार को लाभ कमा कर दे रहे थे।

निजीकरण के क्षेत्र में मोदी सरकार अपनी पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है। उन्होंने भी ऐसे ही 2002 में रिलायंस उद्योग समूह के हाथों भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम को बेच दिया था।

उस वक्त का दूसरा मामला भी बहुत चर्चित हुआ था वो था, मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सेंटोर होटल की 2002 में हुई बिक्री,..... इस होटल को 115 करोड़ रुपए में बत्रा हॉस्पिटैलिटी ने खरीदा था। उसने चार महीने के भीतर ही इसे सहारा समूह को 147 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी इतने कम समय में उसने अपनी लागत का करीब-करीब एक तिहाई मुनाफा कमा लिया था।

मोदी सरकार भी अपने कार्यकाल के आखिरी साल में विनिवेश के नाम पर जो धतकरम न करे वो कम है।

इंसोल्वेंसी एंड बैंककरप्सी कोड लाया ही इसलिए गया कि हजारों करोड़ के कर्ज डूबा कर बैठी कंपनियों को अडानी अम्बानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को बेहद कम कीमत में बेच कर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पुहचाया जाए और जनता को ठेंगा दिखा दिया जाए। दिवालिया टेक्सटाइल फर्म आलोक इंडस्ट्रीज के कर्जदाताओं ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएमएफ एआरसी की ओर से संयुक्त रूप से जमा कराई गई समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, ऋणदाताओं की समिति की वोटिंग में 72 फीसदी ऋणदाताओ ने रिलायंस का ऑफर मंजूर कर लिया।

अप्रैल के मध्य में हुई बैठक में रिलायंस और जेएम एआरसी के 5,050 करोड़ रुपये के ऑफर पर 70 पर्सेंट कर्जदाता बैंकरों ने ही सहमति दी थी लेकिन तब ये सौदा नकार दिया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह एक नियम था जिसके तहत ऐसे रिजॉल्यूशन प्लान की मंजूरी के लिए कम से कम 75 पर्सेंट कर्जदाताओं की सहमति जरूरी है तो अब तो सिर्फ 2 परसेंट ही बढ़त होने पर इसे रिलायंस को क्यो सौपा जा रहा है?

दरअसल इन दो महीनों के दौरान सरकार ने इस 75 प्रतिशत ऋण दाताओं की मंजूरी वाले कानून में ढील देने वाला संशोधन पास कर दिया यानी अब भी यह 75 प्रतिशत से कम है लेकिन अब इस समाधान को मंजूरी दी जा सकती है।

अब सबसे कमाल की बात सुनिए इस सौदे से बैंकों को 86 फीसदी से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है लेकिन बात अगर मुकेश अम्बानी के फायदे की हो तो जनता के पैसे पर डाका मारने से मोदी सरकार क्यो रुके।

आलोक इंडस्ट्रीज पर वित्तीय कर्जदाताओं का करीब 295 अरब रुपये बकाया है ओर मुकेश अम्बानी सिर्फ 50.5 अरब रुपये में आलोक इंडस्ट्रीज खरीद रहे। यानी सरकार बैंको पर दबाव डाल कर 245 अरब रुपये पूरी तरह से डुबाने को आमादा है लेकिन मजाल है कोई चू तक बोल दे। इतना ही ऋण यदि किसानों का माफ कर दिया जाता तो पूरे भारत मे हल्ला मचा देते, वित्तमंत्री को ताव आ जाता, सारे आर्थिक विशेषज्ञ एक स्वर में डुबा दिए डुबा दिए का शोर मचाने लग जाते।

यह तस्वीर हैं न्यू इंडिया की ,.....आरती उतारिये इनकी,..... ओर लगे रहिए कि किस का पासपोर्ट नही बना, बना तो क्यो बना, कैसे एयरटेल वालो ने धर्म के आधार पर भेदभाव किया, किसे ओला वालो ने चलती गाड़ी से उतार दिया।

काश कि आप समझ पाते कि ऐसे बवंडर खड़े ही इसलिए किये जाते हैं कि आपका ध्यान इस आर्थिक लूट पर न जाए।

कंपनिया को बिकते सुना था पर मोदी जी बैंक बेचने निकले

जी हाँ, आईडीबीआई बैंक मोदी सरकार बेच रही है।दरअसल आईडीबीआई एकमात्र ऐसा सरकारी बैंक है, जो बैंक राष्ट्रीयकरण कानून के दायरे में नहीं है। इसलिए सरकार को उसमे अपना हिस्सा बेचना अपेक्षाकृत आसान है। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत भी नहीं है।

आईडीबीआई बैंक का सरकारी बैंकों में सबसे बदतर खराब लोन का रेश्यो है, आईडीबीआई बैंक का घाटा पिछले एक साल में 62 फीसदी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उसका नुकसान 5158 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2017-18 में 8237 करोड़ रुपये हो गया है। उसका एनपीए भी इस दौरान 32 फीसदी बढ़कर 55 हजार 588 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

सरकार अपना हिस्सा बेच कर इसलिए अलग होना चाहती है क्योंकि निजीकरण के बाद सरकार पर घाटे और एनपीए से जूझ रहे आईडीबीआई को दोबारा पूंजी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के प्रस्ताव में एक विकल्प इसकी 86 फीसदी हिस्सेदारी एलआईसी जैसे सरकारी उपक्रम को बेचने की है। फ़िलिहाल आईडीबीआई बैंक में 40 से 43 फीसदी हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेचने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। बीमा नियामक संस्था, आईआरडीए (इरडा) का नियम है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी भी लिस्टेड कंपनी की इक्विटी में 15 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि बीमाधारकों को अनावश्यक जोखिम से बचाया जाए लेकिन एलआईसी के पास आईडीबीआई के 10.82 प्रतिशत हिस्सेदारी पहले से ही है ओर यदि यह इस बैंक के शेयर खरीदती है तो पहले कानून में संशोधन करना होगा, जिसके लिए सरकार आतुर दिखाई दे रही है।

यानी घाटे वाला सौदा खरीदना हो तो स्रुष्ट खरीदे ओर फायदे का सौदा हो तो अम्बानी, अडानी, वेदांता को जाए, क्या अब भी किसी को शक है कि ये सरकार पूंजीपतियों के हितों में काम कर रही है।

टंडन की दलाली का अड्डा बनकर रह गया थाना एनआईटी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 18 जून रात्रि करीब नौ साढे नौ बजे 5 एफ़/42ए निवासी बुजुर्ग महिला अमृत कौर व उसकी गर्भवती बहू के साथ उन्ही के मकान में भूतल पर ही रहने वाले एक परिवार सीमा, निखिल पुलकित व सीमा की बहू तान्या ने मिलकर अमृत कौर व गर्भवती बहू के साथ जमकर मारपीट करी। दोनों पक्षों ने मौके पर पुलिस को फ़ोन कर बुलाया।

मौके पर आयी पुलिस ने दोनों पक्षों को अगले दिन थाने आने का समय दे दिया। जब पुलिस जाने लगी तभी सीमा ने शराब माफ़िया टंडन को फ़ोन लगाकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से बात करवा दी। जिस पर टंडन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बड़खल विधायक सीमा त्रिखा के आदेश है कि सीमा व उनके परिवार की पूरी मदद करनी है। अमृत कौर व उसके बेटे विक्की अरोड़ा पर महिला अपराध का मामला दर्ज करना है। जिसको लेकर सीमा की बहू ने उसी वक्त थाने पहुंच कर एक शिकायत दी कि अमृत कौर व उसके परिवार ने हमारे घर में घुस कर झगड़ा किया व मेरे कपड़े भी फ़ाड़ दिये। जिसको लेकर अमृत कौर के बेटे विक्की पर एफ़आईआर नम्बर 276 धारा 354 की दर्ज कर दी गयी। अमृत कौर की शिकायत भी थाना प्रभारी ने नहीं ली। अमृत कौर के साथ थाने गये एफ ब्लॉक रैजिडेंट्स वैलफेयर के प्रधान व ब्लॉक वासियों की बात भी अनसुनी कर उन्हें वहां से भगा दिया। जिसको लेकर अगले दिन अमृत कौर सभी ब्लॉक वासियों के साथ विपुल गोयल के पास जा पहुंची। जब विपुल गोयल के भतीजे अमन गोयल ने थाना प्रभारी सुभाष कुमार को फ़ोन कर कहा कि अमृत कौर की शिकायत क्यों नहीं ली गई व बिना जांच के मामला क्यों दर्ज किया गया। तो एसएचओ ने अमन की बात को ज़्यादा महत्व न देते हुये बात को घुमा-फ़िरा दिया।

जब उसी दिन ब्लॉकवासी थाने पहुंचे तो एसएचओ साहब पार्क में बॉलीबॉल खेल रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उनसे मिलने अपने कमरे में पहुंचे तो तभी ब्लॉक वासियों की बात अनसुनी कर उन्हें भगा दिया। जिसको लेकर पीड़ित पक्ष पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच सारी घटना की जानकारी दी जिस पर तफ्तीश डीसीपी एनआईटी के पास जांच के लिये भेज दी। पीड़ित पक्ष ने डीसीपी एनआईटी कार्यालय में बताया कि जब थाने में एफ़आईआर दर्ज की जा रही थी तभी महिला थाने से एचसी अनिता भी वहां मौजूद थी। जिसको एसएचओ ने बोला कि सीमा की बहू तान्या की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन हवलदार अनिता ने थाना प्रभारी को साफ़ मना कर दिया कि बिना जांच पड़ताल के वह कोई कार्यवाही नहीं करूंगी। जिस पर एसएचओ ने खुद मामला दर्ज कर दिया।

यहां पाठकों को बता दें कि मकान नम्बर 5एफ़/42 ए ग्राऊंड फ्लोर के एक भाग पर टंडन गिरोह ने जबरन कब्जा करके सीमा व तान्या परिवार को अमृत कौर से लड़ने-भिड़ने के लिये बिठा रखा है।

अमृत कौर के साथ इस तरह का झगड़ा पहली बार नहीं हो रहा, टंडन गिरोह पहले भी कई बार इस तरह के झगड़े करवा चुका है। दरअसल टंडन अमृत कौर पर दबाव डालकर अपने नाजायज कब्जे को जायज बनाकर इसे बेचना चाहता है। लेकिन अमृत कौर अडिग है उनके साथ मोहल्ले के तमाम लोग खड़े हैं।

टंडन के कहने पर पहले भी सीमा एक व्यक्ति के खिलाफ़ कपड़े फ़ाड़ने की शिकायत कर चुका है। उसी फैसले में दूसरे पक्ष से टंडन ने सीमा को लाखों रुपया दिलवाया था। इसी रकम से सीमा को इस मकान का यह पोरशन खरीदवाया था।

सीमा का परिवार इस घर से टंडन की अवैध शराब बेचने का धंधा तो करता ही है साथ में और भी कई अनैतिक धंधे यह परिवार करता है। इन्हीं काले धंधों के चलते तमाम मोहल्लावासी इस परिवार से दुखी हैं और अमृत कौर के समर्थक में एक जूट हैं।

मजेदार बात यह भी है कि इस घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुये हैं जिनकी फुटेज देखने से साफ़ पता चलता है कि अमृत कौर व उनके परिवार में से किसी ने भी सीमा एवं उसकी बहू के कोई कपड़े नहीं फ़ाड़े। यह सब ड्रामा तो सीमा ने टंडन के निर्देषन पर किया है।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर डीसीपी ने उक्त मुकदता रद्द करने का निर्णय लिया है।

सेक्टर 14 की मार्केट शौचालयों को बनाया कबाड़खाना, नया बन रहा फुटपाथ पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के पॉश सेक्टरों में गिना जाने वाला है 14 सेक्टर। 'हूडा' अफ़सरों की हरामखोरी व निकम्मेपन का शिकार है यहां की मार्केट। 'हूडा' की अपनी प्लानिंग के अनुसार इसमें 2 शौचालय बनाये गये हैं। इनमें से एक को स्थाई रूप से कबाड़खाना बना रखा है। शायद 'हूडा' के कर्मचारियों ने सरकारी गैर जरूरी सामान इसमें रख छोड़ा है। दूसरे शौचालयों को कभी ठेके पर देकर चलाया जाता है तो कभी बंद कर दिया जाता है। ठेकेदार शौचालय जाने वाले से वसूली करता है। आजकल यह भी बंद है।

मार्केट के दुकानदारों की शिकायत पर क्षेत्र के विधायक एवं हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बजाय 'हूडा' अधिकारियों को लताड़ कर, मौजूदा शौचालयों को चालू कराने के, एक नया शौचालय बनाने का न केवल आदेश दे दिया बल्कि तुर्त-फुर्त निर्माण कार्य भी चालू करा दिया।

विदित है कि सरकार के किसी भी काम को करने के कुछ तयशुदा नियम होते हैं। सबसे पहले जगह तय की जाती है, फ़िर नक्शा पास किया जाता है। काम यदि बहुत छोटा हो तो ये सभी औपचारिकतायें हैं तुर्त-फुर्त पूरी कर दी जाती हैं। लेकिन इस मामले में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल मंत्री जी ने एक ठेकेदार को बोल दिया और उसने झट से शौचालय की दीवारें खड़ी कर दी। जगह भी क्या छांटी, मार्केट के सामने मुख्य सड़क का फुटपाथ।

'हूडा' नियमों के अनुसार किसी भी सेक्टर की ज़ोनिंग प्लान को यहां का कोई भी अधिकारी रत्ती भर भी नहीं बदल सकता और यह शौचालय ज़ोनिंग प्लान की खुली अवहेलना करके बनाया जा रहा है। इसके विरोध में न केवल तमाम सेक्टरवासी हैं बल्कि समझदार दुकानदार भी दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं।

रेजिडेंट वैलफ़ेयर एसोसिएशन के दर्जनों पदाधिकारी जो केवल मंत्री के साथ फ़ोटो खिचवा कर धन्य हो जाते हैं, कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हां सेक्टर निवासी एवं नगर निगम के डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग जरूर खुल कर बोलने का साहस कर पा रहे हैं, परन्तु मंत्री के आगे उनकी क्या बिसात।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06